

( आदेश 20 के नियम 6 और 7 )

( न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम )

( पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ) कैम्प. विजाहाडी

पीठासीन अधिकारी श्री विद्या मोक्ष जीवा R.A.S  
 उन्वान बडीधाम  
 बनाम विमला

दावा बाबत:- रु. 10,00,000

मुकदमा नम्बर:- 104/18

निर्णय दिनांक:- 28.5.2018

वादी की ओर से ..... की व प्रतिवादी की ओर से .....  
 की उपस्थिति में आज तारीख ..... को ..... ( नाम पीठासीन अधिकारी ) के समक्ष अन्तिम  
 निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिग्री दी जाती कि - विजाहाडी हाथकी हाथकी नं.  
 57/5-6 के 1/4 भाग ख. नं. 55/0-01 बीटा के 1/8 भाग  
 1/8 भाग अर्थात् 3/8 भाग मसुवाही लक्ष्मी कौशिकी में वादी को 1/5 भाग  
 1/5 भाग अर्थात् 1/5 भाग शोभित देव जवा ही. री. अर्थात् 1/5 भाग  
 में बांटा कर दिया है।

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेंगे।  
 यह आज तारीख 28.5.18 को मौ हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Om  
 ( विद्या मोक्ष जीवा R.A.S )

पीठासीन अधिकारी  
 उपखण्ड अधिकारी एवं  
 पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
4. ....रूपये पर प्लीडर के फीस	अर्जी के लिए स्टाम्प
5. साक्षियों को लिए निर्वाह -व्यय	प्लीडर के फीस
6. कमिश्नर की फीस	साक्षियों को लिए निर्वाह -व्यय
7. आदेशिका की तामिल	आदेशिका की तामिल
	कमिश्नर की फीस
जोड़	जोड़

श्यामाय उपरबण्ड अधिकारी कोटनारीसिम (भालवर)

दावा सं० 104/18

बदरी प्रसाद बनाम विमला

16/5/18

वादी मय जमीन उपाग दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जर्जे RAJ समन से तलब किया जावे। आयन्दा फावली दिनांक 10/6/18 को पेश हो

OM

पत्रावली पेश हुई। बकुलाय फटीकन आइन्दा पत्रावली को कोर्ट/ लोक अद. में दिनांक 22-5-18 को पेश हो।

OM

OM

दादी

22/5/18

फावली पत्रावली कोर्ट में पेश हुई। प्रतिवादीगण को कोर्ट से समन जवाब दया पेश किया। वादी को प्रतिवादीगण उपाग वादी कायदा दिखी किया जाया है। जिक्रिय पत्रावली में प्रथम प्रमाण पत्रा. किया गया। फावली दिनांक सुनाव डेवतु जवहर से कर डे 18/5/18 को पेश होडा है। OM

विमला

आयवरी

कन्यामती

को लारा

मि. प्रसाद